न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूलसिंह बनाम कुरेन्द्र सिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
06.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री रामजीलाल सैनी एड0 ने मय पक्षकार प्रतिवादी संख्या 13 प्रदीप पुत्र महालसिंह पौत्र धीरसिंह हाजिर अदालत होकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों व इसके संलग्न नजरी नक्शे का गहनता से अवलोकन करते हुए उक्त प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में लाल स्याही से कायम किये गये रास्ते को 15 फिट के स्थान पर 20 फिट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार तरमीम किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण ने उक्त प्रस्तावित रास्ते को 20 फिट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। वकील वादी के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 17.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
17.07.2023	पत्रावली आज [illegible] / आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
मे स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2022	2022 / 355	02.11.2022	17.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. मूलसिंह पुत्र अमरसिंह आयु 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी गुढा कैरु (?) रे–महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—वादी—

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह आयु 62 साल
2. समरथसिंह आयु 51 साल
3. रामसिंह आयु 53 साल
   पुत्रगण रिड़सिंह
4. योगेन्द्र पुत्र स्व0 विरेन्द्रसिंह पौत्र रिड़सिंह आयु 38 साल
5. टवर कवर पुत्री स्व0 विरेन्द्रसिंह पौत्री रिड़सिंह आयु 35 साल
6. गुलाब कवर पत्नी स्व0 विरेन्द्रसिंह पुत्रवधु रिड़सिंह आयु 65 साल
7. रतन कवर पुत्री रिड़सिंह आयु 40 साल
8. पूरण कवर पुत्री रिड़सिंह आयु 55 साल
9. शिवपालसिंह पुत्र [illegible]
10. भवरसिंह पुत्र धीरसिंह आयु 70 साल
11. मुलसिंह पुत्र धीरसिंह आयु 57 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

12. बजरंगसिंह पुत्र धीरसिंह आयु 57 साल

13. प्रदीप आयु 35 साल

14. कुलदीपसिंह आयु 33 साल

पुत्रगण स्व0 महालसिंह पौत्र धीरसिंह

15. शिम्भा पुत्री स्व0 महालसिंह पौत्री धीरसिंह आयु 38 साल

16. आशा कंवर पत्नी स्व0 महालसिंह पुत्रवधू धीरसिंह आयु 68 साल

17. राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह आयु 55 साल

18. कमला कंवर पुत्री अमरसिंह

19. भंवर कंवर पुत्री धीरसिंह आयु 62 साल

20. शांति कंवर पत्नी रिद्वसिंह आयु 80 साल

जाति राजपूत निवासीगण गुढ़ा जैतुसर महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

21. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

——प्रतिवादीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः—

श्री सुनिल कुमार शर्मा/विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री रामजीलाल सैनी, एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 11 व 13 की ओर से।

श्री मुकेश ढेणवाल एड0 प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

12/07/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि ख0न0 1686, 1688, 1689, 1690 कुल किता–4 कुल रकबा 2.6000 हैक्टर मे अवस्थित है। जिसकी खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता–पति स्वर्गीय विरेंदरसिंह पुत्र रिद्वसिंह एवं प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 एवं प्रतिवादी संख्या–13 ता 16 के पिता–पति स्वर्गीय महालसिंह पुत्र धीरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या–17 ता 20 के नाम दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमिया है। जिसका मौके पर कदीम से बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार आयी हुयी भूमियों पर अलग–अलग सींव डोल कायम कर काबिज काश्त की भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अलग से कदीमी सींव डोल कायम की हुयी है परन्तु भूमियों की मौके कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार खातेदारी अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी को सख्त हक तलफी है एवं वादी अपनी भूमियों का समुचित विकास नही कर पा रहे हैं एवं राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं अनुदान आदि में संयुक्त खातेदारी होने से परेशानी उत्पन्न होती हैं। इसलिए वादी भूमियों का मौके के कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाकर अलग से खातेदारी राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाने व अलग से लगान कायम करवाने एवं भूमियों में आवागमन के शामलाती रास्ता को अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादी का हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों में किसी प्रकार की मुजाहमत करने को कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं हैं। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण की भूमियों का मौके के कदीमी बाहमी बंटवारा एवं कब्जा काश्त व हक हिस्सा, खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाने व खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

19/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रैस मे अलग-अलग दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु दिनांक 25.10.2022 को इन्कार हो गये है एवं वादी के कब्जा काश्त मे मजाहमत करने की धमकी दी है। खातेदार विरेंदरसिंह पुत्र रिद्वसिंह फौत हो चुका है जिसे वारिसान प्रतिवादी संख्या-4 ता 6 है एवं खातेदारी महालसिंह पुत्र धीरसिंह फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या-13 ता 16 है। जिनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृषि भूमि ख0न0 1686, 1688, 1689, 1690 कुल किता-4 कुल रकबा 2.6000 है0 तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या-1 ता 20 के मध्य मौके के कदीमी बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर पक्षकारान को उनकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे एवं भूमियों में आवागमन के शामलाती रास्ता को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 20 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया। वादी ने विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने के लिए यह वादपत्र पेश किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 21 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या-2, 11 व 13 की ओर से श्री रामजीलाल सैनी एड0 उपस्थित आये एवं जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या -17 की ओर से श्री मुकेश ढेणवाल एड0 उपस्थित आयें। वकील प्रतिवादी संख्या-17 को जवाबदेही हेतू कई अवसर दिए गए। बावजूद अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर वकील प्रतिवादी संख्या-17 की जवाबदेही बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 3 ता 10, 12, 14 ता 16, 18 ता 21 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक मे करवाए ... से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद रजिस्टर्ड डाक तामिल के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील वादी की बहस एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सुनी गयी।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकासमा से सम्बंधित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 17.05.2023 को प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम - 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/प–51/ 2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1379/रीडर/2023 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगो में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 960/भू.अ./2023 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.06.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड ... जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने – अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

27/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरैजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शें से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री रामजीलाल सैनी एड0 ने मय पक्षकार प्रतिवादी संख्या 13 प्रदीप पुत्र महालसिंह पौत्र धीरसिंह हाजिर अदालत होकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों व इसके संलग्न नजरी नक्शे का गहनता से अवलोकन करते हुए उक्त प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में लाल स्याही से कायम किये गये रास्ते को 15 फिट के स्थान पर 20 फिट का रास्ता तरमीम किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण ने उक्त प्रस्तावित रास्ते को 20 फिट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—: कियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट मय [illegible] 19.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुस[illegible] निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

27/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. आशा कंवर पत्नी महाल सिंह हिस्सा 1/72 2. कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र महाल सिंह, हिस्सा 1/36 3. सीमा कॅवर पुत्री महाल सिंह हिस्सा 1/72 4. बजरंग सिंह, भॅवर सिंह, मूल सिंह पुत्र धीर सिंह हिस्सा 1/6 5. भॅवर कॅवर पुत्री धीर सिंह हिस्सा 1/18 6. शिवपाल सिंह पुत्र धीर सिंह हिस्सा 1/18 7. पूरण कॅवर, रतन कॅवर पुत्री रिद्धसिंह, हिस्सा 2/21 8. रामसिंह, विरेन्द्र सिंह, समरथ सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिद्ध सिंह हिस्सा 4/21 9. शांति कंवर पत्नि रिद्ध सिंह हिस्सा 1/21 10. कमला कंवर पुत्री अमर सिंह हिस्सा 1/9	1686 1688 1689 1690	0.02 0.01 0.06 2.51	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	0.04 0.02 0.11 4.67

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

13/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर

	11. मूल सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/9 12. राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत सा0 गुढा तन जैतूसर खातेदार				
	योग खाता	किता – 4	2.60	––	4.84

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	आशा कंवर पत्नी महाल सिंह, कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र महाल सिंह, सीमा कंवर पुत्री महाल सिंह हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर बजरंग सिंह, भँवर सिंह, मूल सिंह पुत्र धीर सिंह हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर	1688 1689 1690/2	0.01 0.06 0.76	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	0.02 0.11 1.41

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर))

	भंवर कंवर पुत्री धीर सिंह हिस्सा 1/6, शिवपाल सिंह पुत्र धीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0 गुढा				
	योग खाता	किता – 3	0.83	बारानी–3	1.54
2	पूरण कंवर, रतन कंवर पुत्री रिध सिंह हिस्सा 2/7 हि0ब0 राम सिंह, समरथ सिंह , सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिध सिंह हि0 ब0 3/7 शांति कंवर पत्नी रिध सिंह हिस्सा 1/7, योगेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, टंवर कंवर पुत्री विरेन्द्र सिंह, गुलाब कंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह हि0 ब0 हि0 1/7 जाति राजपूत सा0 गुढा	1690/1	0.83	बारानी–3	1.54
	योग खाता	किता – 1	0.83	बारानी–3	1.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

3	मूलसिंह पुत्र अमर सिंह हि0 2/3 कमला कंवर पुत्री अमर सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत	1686 1690/3	0.02 0.39	बारानी–3 बारानी–3	0.04 0.73
	कुल योग	किता–2	0.41	बारानी–3	0.77
4	राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 2/3 कमला कंवर पुत्री अमर सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत	1690/4	0.41	बारानी–3	0.77
	कुल योग	किता–1	0.41	बारानी–3	0.77
5	आशा कंवर पत्नी महाल सिंह हिस्सा 1/72 कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र महाल सिंह हिस्सा 1/36 सीमा कंवर पुत्री महाल सिंह हिस्सा 1/72 बजरंग सिंह, भंवर सिंह, मूलसिंह पुत्रगण वीर सिंह हिस्सा 1/6 भंवर कंवर पुत्री वीरसिंह	1690/5	0.12	बारानी'–3	0.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी,

हिस्सा 1/18 शिवपाल सिंह पुत्र धीरसिंह हिस्सा 1/18 पूरण कंवर, रतन कंवर पुत्री रिध सिंह हिस्सा 2/21 रामसिंह, सूमरथ सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिध सिंह हिस्सा 1/7 शांति कंवर पत्नी रिध सिंह हिस्सा 1/21 योगेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, टंवर कंवर पुत्री विरेन्द्र सिंह गुलाब कंवर पत्नी वीरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/21 हि0ब0 कमला कंवर पुत्री अमर सिंह हिस्सा 1/9 मूल सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/9 राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत सा0 गुढा				
कुल योग	किता–1	0.12	बारानी–3	0.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, ...

नोट:- तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में लाल स्याही से कायम किये गये रास्ते को 15 फिट के स्थान पर 20 फिट का रास्ता तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 960 / भू.अ. / 23 दिनाक 13.06.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:40 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)